

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राजस्थान)

क्रमांक : दत्तकग्रहण आदेश / कोर्ट / 2024 / 171

दिनांक : 20/3/24

अनुसूची 33

[दत्तक ग्रहण विनियम 2022 36 (2)]

दत्तक ग्रहण आदेश

जिला : भरतपुर

राज्य : राजस्थान

भरतपुर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष।

दत्तक ग्रहण आवेदन संख्या :-06 / 24

वर्ष :- 2024




अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या : PrDe161815729

दत्तक ग्रहण आदेश का प्रकार (कृपया ✓ का चिन्ह लगाए)

1.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 10, 11, 12 और 13 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 56 (1), 58 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 56 (4), 59 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
3.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2 (52), 56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
4.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 56, 57, 58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2 (52), 60 और 61 के अधीन नातेदार (पारिवारिक अथवा सौतेले) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
5.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 39(1), 56(1), और 57(5) और 61 के अधीन सौतेले बालक का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>

भाग 1

(क) आवेदक का नाम और पता (भावी दत्तक माता-पिता) :- श्री सुरेश अय्यर पुत्र श्री नारायणन राजा अय्यर एवं श्रीमती सुपिन्दर कौर पत्नि श्री सुरेश अय्यर निवासी मकान नम्बर 62, तृतीय तल पिंक अपार्टमेण्ट, द्वारका नई दिल्ली ।


जिला कलक्टर
भरतपुर

- (ख) मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का नाम और पता (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में लागू नहीं) :- राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, सेक्टर मथुरा बाईपास रोड, सरसो अनुसंधान केन्द्र के पीछे गोलपुरा सेक्टर भरतपुर।
- (ग) जिला बाल संरक्षण ईकाई का नाम और पता :- सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई, 261 राजेन्द्र नगर भरतपुर (राज.)।
- (घ) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण :- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा), 20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर (राज.)

भाग 2

- (क) यह कि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी भरतपुर द्वारा जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर के माध्यम से 04.03.2024 को दत्तकग्रहण का आवेदन फाइल किया गया है और दत्तक ग्रहण विनियम की अनुसूची 6 के साथ पठित अनुसूची 9 में यथा उपबंधित जॉच सूची में नियत दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है।
- (ख) यह कि आवेदकगण ने बालिका को एक नया नाम देने के लिये एक शपथ पत्र दायर किया है और सुझाया गया नाम कृष्णा अय्यर है तथा तदनुसार बालिका को कृष्णा नाम के बजाय कृष्णा अय्यर नाम से जाना जायेगा।
- (ग) यह कि दत्तकग्रहण की प्रक्रिया अब सभी प्रकार से पूर्ण हो गयी है और तदनुसार में, श्री सुरेश अय्यर पुत्र श्री नारायणन राजा अय्यर एवं श्रीमती सुपिन्दर कौर पत्नि श्री सुरेश अय्यर भावी दत्तक माता-पिता जिनका रजिस्ट्रीकरण संख्या PrDe161815729 है, के साथ बालिका कृष्णा अय्यर जन्मतिथि 23.05.2023 (बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिये विधिक रूप से स्वतंत्र होना प्रमाणित किया गया) के दत्तक ग्रहण की अनुमति देता हूँ :
- (i) भावी दत्तक माता-पिता अर्थात् श्री सुरेश अय्यर पुत्र श्री नारायणन राजा अय्यर एवं श्रीमती सुपिन्दर कौर पत्नि श्री सुरेश अय्यर दत्तकग्रहण के लिये पात्र और उपयुक्त पाये गये है (देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त के आधार पर)।
- (ii) किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 और दत्तकग्रहण विनियम 2022 में यथा उपबंधित सम्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।



2

जिला कलक्टर
भरतपुर

(iii) किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 63 के अनुसार, कृष्णा अय्यर नाम की बालिका, जन्मतिथि 23.05.2023 जिसके सम्बन्ध में आज दिनांक 20.03.2024 को एक दत्तकग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होने की तारीख से निर्वसीयता सहित सभी प्रयोजनों के लिये इस प्रकार दत्तक माता-पिता श्री सुरेश अय्यर पुत्र श्री नारायणन राजा अय्यर एवं श्रीमती सुपिन्दर कौर पत्नि श्री सुरेश अय्यर की संतान बन जाएगी और दत्तक माता-पिता बालिका के माता-पिता बन जाएंगे जैसे कि बालिका का जन्म दत्तक माता-पिता से हुआ हो और इसी तारीख से बालिका के जन्म लेने वाले परिवार के साथ बालिका के सभी सम्बन्ध समाप्त माने जाएंगे और दत्तकग्रहण आदेश द्वारा दत्तकग्रहण परिवार में सृजित सम्बन्धो द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(iv) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (1869 का 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार को, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तकग्रहण आदेश में उल्लिखित दत्तक माता - पिता का नाम और बालिका की जन्मतिथि को समाविष्ट करते हुए विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेन्सी या दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल आवेदन पर दत्तक बालिका के पक्ष में पाँच दिन के भीतर जन्म प्रमाण जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

(v) बालिका परित्यक्त बालिका है, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण ईकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालिका की प्रास्थिति अद्यतन की जाए।



(डॉ. अमित यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर

क्रमांक : दत्तकग्रहण आदेश / कोर्ट / 2024 / 172-177
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 20/3/24

1. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर।
3. अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी भरतपुर।
4. अध्यक्ष बाल कल्याण समिति भरतपुर।
5. दत्तक माता-पिता श्री सुरेश अय्यर एवं श्रीमती सुपिन्दर कौर निवासी मकान नम्बर 62, तृतीय तल पिंक अपार्टमेण्ट, द्वारका नई दिल्ली।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. अमित यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर